रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 1986/चैत्र 4, 1908
No. 9] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 1986/CHAITRA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल भूतल परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1986

स. पी. डब्ल्यू/पो. ई. बी.-4/85.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अगला आदेश होने तक श्री एस. राममूर्ति, आई. ए. एस. (महाराष्ट्र 59) को पदभार संभालने की तारीख से बम्बई पत्तन न्यास का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Ports Wing)

New Delhi, the 25th March, 1986

File No. PW|PEB-4|85.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government appoint Shri S. Ramamoorthi, IAS (MH : 59) as Chairman, Bombay Port Trust, with effect from the date he takes over the charge of the post and until further orders.

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS ,DELHI-110054. 1986